न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 7/2016

1 दिलीप पुत्र रामदेव [illegible] जाट निवासी खाटूश्यामजी तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।

अपीलांट

1 श्यामसुन्दर पूनियां पुत्र [illegible] जाट निवासी खाटूश्यामजी तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।
2 उप पंजीयक दांतार[illegible] सीकर।
3 तहसीलदार सीकर।
4 पटवारी हल्का खाटूश्यामजी।

रेस्पोडेंट

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काशतकारी अधिनियम 1955 विरूद्व आदेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ़ जिला सीकर बइजलास श्री जगदीश प्रसाद गौड़ आर.ए.एस. प्रकरण संख्या 62/12/टी.आई. उनवानी दिलीप बनाम श्यामसुन्दर पूनियां आदि आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम दिनांकित 16.12.2015

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

उपस्थिति :

1. श्री सोहनलाल, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री रामेश्वर लाल बिजारणियां, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

—निर्णय—

दिनांकः— 14.10.2019

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी द्वारा मुकदमा संख्या 62/2012 मे पारित निर्णय दिनांक 16.12.2015 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी अपीलांट ने अप्राथीगण रेस्पोडेंट के विरूद्व विचारण न्यायालय में धारा 212 के अन्तर्गत आवेदन प्रस्तुत कर कथन किया कि विवादित भूमि खसरा नम्बर 2137 से 2140, 2156 से 2158, 2264,2265,2287,2290 वाके ग्राम खाटूश्यामजी में प्रतिवादी संख्या 4 रामदेव का 1/2 हिस्सा है इसमें से 1/8 हिस्से का विवाद है। अपीलांट को सुने बिना अन्य पक्षकारों ने विवादित भूमि में से विक्रय पत्र करवा दिये। राजस्व ऐजेन्सी ने बिना जांच किये नामान्तकरण तस्दीक कर दिये इसकी आड़ में अप्रार्थीगण अपीलांट को बलात बेदखल करना चाहते है। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई अपीलांट का आवेदन खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विवादित भूमिया पैतृक संयुक्त कब्जे काश्त की है विचारण न्यायालय ने प्रथम दृष्टया मामला सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दु पर विवेचन किये बिना विचाराधीन निर्णय पारित किया है जो विधि सम्मत नही है। अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर तादौराने दावा स्थगन जारी किया जावें।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि रेस्पोडेंट सदभावी केता है अपीलांट का कोई विधिक अधिकार नही है। केता के नामान्तकरण को रोकने के उदेश्य से आवेदन प्रस्तुत किया गया है। विचारण न्यायालय में विस्तृत विवेचन कर विधि सम्मत निर्णय पारित किया है। अपील सारहीन है खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। ग्राम खाटूश्यामजी तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर की जमाबंदी संवत 2063–66 के अवलोकन से स्पष्ट है कि खातेदार रामदेव द्वारा खसरा नम्बर 2139,2140,2156 किता 3 कुल रकबा 1.60 हैक्टेयर हिस्सा 1/8 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र बेचान होने पर नामान्तकरण संख्या 1193 दिनांक 07.03.2007 तस्दीक होने पर खातेदारी रामदेव पुत्र काना जाति जाट हिस्सा 1/8 के स्थान पर जरिये विक्रय विलेख से रामप्रताप पुत्र मेहरचन्द जाति जाट निवासी भाखरावाली तहसील सांगरिया जिला हनुमानगढ़ एवं दलवीर सिंह पुत्र मुकन्दसिंह जाति जाट सिक्ख निवासी पीर का मडिया तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़ के नाम हुई है तत्पश्चात दलवीर सिंह व रामप्रताप खातेदार द्वारा अपने हिस्से 1/8 को दिनांम श्यामसुन्दर पूनियां पुत्र श्री श्योजीराम जाति जाट निवासी खाटूश्यामजी तहसील दातारामगढ़ जिला सीकर को दिनांक 13.04.2012 को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय कर उप पंजीयक, दातारामगढ़ में पंजीबद्व करवाया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन से यह जाहिर है कि प्रस्तुत प्रकरण में सदभावी केता होने से प्रथम दृष्टया मामला सुविधा का सन्तुलत एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दु रेस्पोडेंट के पक्ष में है। विचारण न्यायालय ने प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य का विवेचन कर अपीलांट का आवेदन खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नही की है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 14.10.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(रणवीर सिंह चौधरी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर